(अनुदान रजिस्टर-2024-25 में क्र.सं. .... पर नोट कर लिया है)

सं. एस-16030/58/2024-एनएएम
भारत सरकार/Government of India
आयुष मंत्रालय/Ministry of Ayush
राष्ट्रीय आयुष मिशन/National Ayush Mission

आयुष भवन/AYUSH Bhawan
'बी ब्लॉक, जी.पी .ओ.कॉम्प्लेक्स/B' Block, GPO Complex
आइ.एन.ए., नई दिल्ली/INA, New Delhi-110023
दिनांक :17/01/2025

सेवा में,

वेतन एवं लेखा अधिकारी (आयुष),
आयुष मंत्रालय,
पूर्वी किदवई नगर, दूसरी मंजिल,
एनबीसीसी भवन, नई दिल्ली।

विषय:- राष्ट्रीय आयुष मिशन (एनएएम) के तहत, बिना विधान-मंडल वाले आयुष संघ-राज्य प्रदेशों के संबंध में वर्ष 2024-25 की अनुमोदित गतिविधि के लिए सचिव, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, दादरा और नगर हवेली और दमन और दीव को सहायता अनुदान सामान्य (आवर्ती) के सृजन हेतु बजट अनुमान (बीई) 2024-25 (मांग संख्या 4) से अनुदान निधि सौंपने संबंधी प्राधिकार पत्र जारी करने के बारे में।

महोदय/महोदया,

डीएफपीआर 1978 के तहत प्रत्यायोजित शक्ति का प्रयोग करते हुए, मुझे राष्ट्रीय आयुष मिशन (एनएएम) [योजना कोड: 9158] के तहत बिना विधान-मंडल वाले **संघ-राज्य प्रदेश दादरा और नगर हवेली और दमन और दीव** को वित्तीय वर्ष 2024-25 की अनुमोदित गतिविधि के लिए बजट अनुमान 2024-25 से **पहली किस्त** के रूप में **1,31,98,000 रुपये (एक करोड़ इकतीस लाख अट्ठानबे हजार रुपये मात्र)** की अनुदान सहायता के प्राधिकार हेतु भारत के राष्ट्रपति की स्वीकृति संसूचित करने का निदेश हुआ है।

2. निधियों की सुपुर्दगी निम्नलिखित के अध्यधीन है:-

(क) निधियों की सुपुर्दगी सिविल लेखा नियमावली के अनुसार जारी की जा रही है।
(ख) कार्यात्मक सेवा मंत्रालय/विभाग के एफए/सीसीए या सीए को निधि आवंटन पत्र (प्राधिकार पत्र) जारी करना अपेक्षित है।
(ग) कार्यात्मक मंत्रालय/विभाग के प्रधान लेखा अधिकारी, संबंधित शीर्षों की कम्प्यूटर कोड संख्या अभिकर्ता विभाग के पीएओ को सूचित करेंगे।
(घ) निधियों की सुपुर्दगी अनावर्ती प्रकृति की है। इस स्वीकृति आदेश में शामिल व्यय को 2024-25 के दौरान आयुष मंत्रालय की मांग संख्या 4 में **प्रमुख शीर्ष-2210 - चिकित्सा एवं लोक-स्वास्थ्य (प्रमुख शीर्ष); 02200-अन्य पद्धतियाँ (लघु शीर्ष); 32-राष्ट्रीय आयुष मिशन (एनएएम); 320231- सहायता अनुदान सामान्य (आवर्ती) (वस्तु शीर्ष)** के तहत प्रदान की गई निधियों से पूरा किया जाएगा - **दादरा और नगर हवेली और दमन और दीव** संघ-राज्य प्रदेश सरकार के लिए अधिकृत पी एंड एओ कोड 009007 है और डीडीओ कोड 209581 है। ब्यौरे संलग्नक में दिए गए हैं।

(ङ) व्यय करने वाले निष्पादक/एजेंट विभाग के पीएओ को न केवल कार्यात्मक सेवा विभाग के बजट शीर्ष में व्यय को दर्ज करना है, बल्कि अपने प्रधान लेखा अधिकारी को सलाह देकर संबंधित सेवा विभाग के लेखा अधिकारी को व्यय के मासिक और उत्तरोत्तर आंकड़ों को सीधे संसूचित करना भी है।

(च) आश्वासन देना होगा कि सामान्य वित्तीय नियम, 2017 में निर्धारित प्रक्रिया का पालन किया जाएगा।

(छ) व्यय करने का प्राधिकार, जीएफआर 2017 और राष्ट्रीय आयुष मिशन (एनएएम) के दिशानिर्देशों के अध्यधीन होगा।

(ज) संघ-राज्य प्रदेश, आयुष मंत्रालय के अनुमोदन के बिना विभिन्न घटकों/गतिविधियों के बीच आवंटन या पुन:समायोजन में कोई बदलाव नहीं करेगा।

(झ) संघ-राज्य प्रदेश, चालू वित्तीय वर्ष के दौरान प्रशासनिक और वित्तीय शक्तियों के प्रत्यायोजन को पूरा करना सुनिश्चित करेगा और एनएएम कार्यक्रम का वित्तपोषण, पूर्व के निर्देशों के अनुसार स्पष्ट प्रत्यायोजन पर आधारित होगा।

(ञ) यह अनुरोध है कि तत्काल प्राधिकार पत्र जारी किया जाए। इसे एकीकृत वित्त प्रभाग **(आईएफडी)** की **दिनांक 14.01.2025 की सहमति सं.सी- 499** से जारी किया जा रहा है।

3. उपर्युक्त धनराशि, वित्त मंत्रालय (योजना वित्त प्रभाग) के समय-समय पर यथा संशोधित दिनांक 22 जनवरी, 1977 के का.ज्ञा. सं. बीओ.10(1) पीएफ-1/76 के तहत जारी अनुदेशों के अनुसार है।

4. अभी स्वीकृत अनुदान सहायता अनंतिम है तथा वित्त मंत्रालय, व्यय विभाग, और समय-समय पर यथा संशोधित दिनांक 9.10.1966 के पत्र संख्या 2 (90)-पी-II/66 के अनुसार व्यय के लेखापरीक्षित आंकड़ों के आधार पर समायोजन के अध्यधीन है।

5. व्यय को जीएफआर-2017/प्राप्ति एवं भुगतान नियम, 1983 के प्रावधानों के अंतर्गत खातों के योजना शीर्षों के संबंध में और उस प्रयोजन हेतु खर्च किया जाएगा जिसके लिए इसे स्वीकृत किया गया है, जैसा कि पैरा (1) में स्पष्ट रूप से विनिर्दिष्ट किया गया है। स्वीकृति आदेश, सामान्य वित्त नियम (जीएफआर) - 2017 के नियम 228 से 245 के अनुसार जारी किया जा रहा है।

6. नई प्रक्रिया 1 जुलाई, 2021 से लागू है। व्यय विभाग, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार के दिनांक 23.03.2021 और 09.06.2023 के कार्यालय ज्ञापन में उल्लिखित सभी शर्तों को मंत्रालय द्वारा सुनिश्चित किया गया है।

7. अनुदान सहायता में जीएफआर-2017 में निहित अन्य नियमों एवं शर्तों और भारत सरकार द्वारा समय-समय पर जारी यथा संशोधित निर्देशों का पालन किया जाएगा। राज्य सरकार / संघ-राज्य क्षेत्र सरकार, आयुष मंत्रालय, भारत सरकार के अनुमोदन के बिना विभिन्न घटकों/गतिविधियों के बीच आवंटन या पुनर्समायोजन में कोई बदलाव नहीं करेगी।

8. राज्य सरकार / संघ-राज्य क्षेत्र सरकार, कार्यान्वयन ढांचे और राष्ट्रीय आयुष मिशन के परिचालन दिशानिर्देश के अनुसार अनुदान सहायता का उपयोग करेगीऔर वित्तीय वर्ष की समाप्ति के बारह महीनों के भीतर निर्धारित जीएफआर 12-सी प्रारूप में इस अनुदान का वास्तविक उपयोगिता प्रमाण पत्र और उसके साथ लेखों का लेखापरीक्षित विवरण, व्यय विवरण, उपलब्धि-सह-निष्पादन रिपोर्ट, यथा लागू अन्य प्रासंगिक दस्तावेज और निधि की स्थिति का विवरण जिसमें अव्ययित शेष, अग्रिम रूप से जारी निधियां, अव्ययित शेष पर अर्जित ब्याज, जब-जब देय हुआ हो, दर्शाया गया हो,प्रस्तुत करेगी। कानूनों के अनुसार कराधान लागू होगा। राज्य सरकार इस मंत्रालय को समय-समय पर प्रगति की स्थिति का अद्यतन करने के लिए बाध्य होगी।

9. यह प्रमाणित किया जाता है कि ऊपर स्वीकृत अनुदान की राशि वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए वित्त मंत्रालय द्वारा इस उद्देश्य हेतु स्वीकृत बजट प्रावधान के भीतर है। इसके अलावा, अगली किस्त दिनांक 23.03.2021 के कार्यालय ज्ञापन के अनुसार जारी की जाएगी।

10. केंद शासित प्रदेश सरकार का कोई भी हिस्सा खातों के समायोजन में जमा नहीं किया जाएगा।

11. अनुदानग्राही केंद शासित प्रदेश के खाते, स्वीकृति देने वाले प्राधिकारी द्वारा निरीक्षण के लिए और सीएजी (डीपीसी) अधिनियम, 1971 के प्रावधान के तहत भारत के सीएजी और मंत्रालय के सीसीए कार्यालय के आंतरिक लेखापरीक्षा दोनों द्वारा लेखापरीक्षा के लिए उस समय खुले रहेंगे जब संस्थान या संगठन को ऐसा करने के लिए कहा जाए।

12. यह दिनांक 29.09.2014 को अधिसूचित एक केन्द्रीय प्रायोजित योजना है जिसके अंतर्गत राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों को अनुदान सहायता जारी किया जाना प्रस्तावित है। इसलिए, व्यय विभाग के दिनांक 14.11.2012 के कार्यालय ज्ञापन 7(1) ई. समन्वय/2012 के अनुसार पूर्ण उपयोगिता प्रमाणपत्रों के परिसमापन की शर्त के साथ निधियां जारी करना इस मामले में लागू नहीं होगा।

13. संघ-राज्य प्रदेश, स्वीकृति के अनुसार आवश्यक दवाओं की खरीद के लिए राष्ट्रीय आयुष मिशन की आयुष सेवाओं के परिचालन दिशानिर्देशों में निहित खरीद दिशानिर्देशों का अनिवार्य रूप से पालन करेगा।

14. स्वीकृति के अनुसार सभी नियुक्तियां संविदात्मक होंगी और केंद्र सरकार की देयता केवल मिशन अवधि तक वेतन शीर्ष के तहत स्वीकार्य केंद्रीय हिस्से की सीमा तक ही रहेगी।

भवदीय,

(संजीव कुमार)
अवर सचिव, भारत सरकार

प्रति सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु:-

1. वेतन एवं लेखा अधिकारी (सचिवालय), स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार, निर्माण भवन, नई दिल्ली -110011
2. माननीय प्रशासक, दादरा एवं नगर हवेली के, सचिवालय, 66 केवीए रोड, अमली, सिलवासा - 3962303.
3. प्रशासक के सलाहकार, दादरा और नगर हवेली, सचिवालय, 66 केवीए रोड, अमली, सिलवासा – 396230
4. प्रमुख सचिव (स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण) स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, सचिवालय, 66 केवीए रोड, अमली, सिलवासा - 396230
5. वित्त सचिव, दमन और दीव और दादरा और नगर हवेली, सचिवालय, 66 केवीए रोड, अमली, सिलवासा – 396230
6. सचिव (योजना), सचिवालय, 66 केवीए रोड, अमली, सिलवासा – 396230
7. स्वास्थ्य सेवा निदेशक, सचिवालय, 66 केवीए रोड, अमली, सिलवासा – 396230
8. पीओ (आयुष), यूटी आयुष सोसायटी, सचिवालय, 66 केवीए रोड, अमली, सिलवासा - 396230
9. योजना प्रकोष्ठ, गृह मंत्रालय, नई दिल्ली।
10. नीति आयोग (राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्था) (स्वास्थ्य प्रभाग), योजना भवन, नई दिल्ली-1
11. वित्त मंत्रालय (योजना वित्त प्रभाग), आर्थिक कार्य विभाग, नॉर्थ ब्लॉक, नई दिल्ली।
12. महानिदेशक लेखापरीक्षा, केंद्रीय राजस्व, आईपी एस्टेट, नई दिल्ली-110002
13. एकीकृत वित्त प्रभाग (आईएफडी), स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, निर्माण भवन, नई दिल्ली-11
14. रोकड़ अनुभाग, आयुष मंत्रालय, नई दिल्ली-23

संलग्नक

सं. एस-16030/58/2024-एनएएम
भारत सरकार/Government of India
आयुष मंत्रालय/Ministry of Ayush
राष्ट्रीय आयुष मिशन/National Ayush Mission

आयुष भवन/AYUSH Bhawan
बी ब्लॉक, जी.पी .ओ.कॉम्प्लेक्स/'B' Block, GPO Complex,
आइ.एन.ए., नई दिल्ली/INA, New Delhi-110023
दिनांक: 17/01/2025

शीर्षों का विवरण निम्नानुसार है:-
मांग सं.:- 4
प्रयोजन:- आवर्ती
प्रमुख शीर्ष:- 2210 - चिकित्सा एवं जन-स्वास्थ्य
लघु शीर्ष:-02200-अन्य पद्धतियां
उप-शीर्ष:- 32-राष्ट्रीय आयुष मिशन (एनएएम)
वस्तु शीर्ष: - 320231 - **सहायता अनुदान सामान्य (आवर्ती)**
संघ-राज्य प्रदेश सरकार का नाम: - दादरा और नगर हवेली और दमन और दीव

धनराशि रुपयों में

क	ख	ग	घ	ङ	च
लेखा शीर्ष	वर्तमान स्वीकृति की राशि	2024-25 के लिए बजट अनुमान चरण में आवंटित बजट	पिछली स्वीकृति तक व्यय	वर्तमान स्वीकृति सहित संचयी व्यय	स्वीकृति के बाद उपलब्ध शेष बजट
2210-02200-32-320231	**1,31,98,000**	31,00,00,000	11,66,24,250	12,98,22,250	18,01,77,750

17/1/2025
(संजीव कुमार)
अवर सचिव, भारत सरकार

Ministry of Ayush, Government of India